रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26092024-257525
CG-MH-E-26092024-257525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946
No. 548]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 11 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव (गैर-सचिवीय) तथा आशुलिपिक ग्रेड I पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ- (1) इन नियमों कासंक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव (गैर-सचिवीय) तथा आशुलिपिक ग्रेड I) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3.पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन – इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर आशुलिपिक श्रेणी I, निजी सचिव (गैर-सचिवालय) तथा वरिष्ठ निजी सचिव के पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा और उनका नियमित और निरंतर उनके संबंधित श्रेणी में सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा ।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पदअथवा अ-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.वरिष्ठ निजी सचिव।	75*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-8 (47600-151100 रुपए)।	चयन ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मेटिक्स के स्तर-7 (44900-142400रुपए) में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा कीहो। **टिप्पण 1-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी । **टिप्पण 2 -** पात्र अभ्यर्थियों को सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होगी, जिसे पैंतीस मिनट में लिप्यांतरित करना होगा अथवा हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट जिसे कंप्यूटर पर पैंतालीस मिनट में लिप्यांतरित करना होगा। आशुलिपि कौशल परीक्षा देते समय शब्द संसाधन का ज्ञान अनिवार्य है। स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा अन्य मापदंडों के साथ-साथ ध्यान में रखा जाएगा। **टिप्पण 3 -** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर वरिष्ठता फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी।	**समूह'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. संबंधित इकाई के प्रशासनिक प्रधान – अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के लेखा प्रधान -सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संबद्ध इकाई के प्रशासनिक अधिकारी-III/उप स्थापना अधिकारी –सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 4.- प्रोन्नति व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव (गैर- सचिवालय)।	100*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-7 (44900-142400रुपए)।	अचयन ।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी । जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :** 1. संबंधित इकाई के प्रशासनिक प्रधान – अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के लेखा प्रमुख – सदस्य;	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-**प्रोन्नति कार्मिक को परिवीक्षा के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 3.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	3. परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संबद्ध इकाई के प्रशासनिक अधिकारी – III/ उप स्थापना अधिकारी – सदस्य।	

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर**	**चयन पदअथवा अ-चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. आशुलिपिक श्रेणी-I।	175*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6 (35400-112400 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा। (i) अस्सी प्रतिशत पद विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा भरे जाने हैं। (ii) बीस प्रतिशत पद वरिष्ठता-सह-पात्रता के आधार पर भरे जाने हैं।

(11)	(12)	(13)
विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए)में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी डी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो। **वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी डी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्षों की नियमित सेवाकी हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय अर्हता परीक्षा कोटा के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। जो व्यक्ति लिखित परीक्षा में पास होते हैं उन्हें सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसे पैंतीस मिनट में लिप्यंतरित करना होगा अथवा हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनिट जिसे कंप्यूटर पर पैंतालीस मिनट में लिप्यांतरित करना होगा। **टिप्पण-3**. वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता कोटा के अधीन अर्ह अभ्यर्थियों कोसात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसे पैंतीस मिनट में लिप्यंतरित करना होगा अथवा हिंदी में सात मिनट की अवधि में एक सौ शब्द प्रति मिनिट जिसे कंप्यूटर पर पैंतालीस मिनट में लिप्यांतरित करना होगा। **टिप्पण 4.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** 1. संबंधित इकाई के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी – अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संबद्ध इकाई के प्रशासनिक अधिकारी–III/ उप स्थापना अधिकारी – सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।** 1. संबंधित इकाई के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी – अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संबद्ध इकाई के प्रशासनिक अधिकारी–III/ उप स्थापना अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. 19/9/2022-सीसीएस/13180]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th September, 2024

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Senior Private Secretary, Private Secretary (Non-Secretariat) and Stenographer Grade I, in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. -- (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Senior Private Secretary, Private Secretary (Non-Secretariat) and Stenographer Grade I) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Initial constitution.- The incumbents holding the posts of Stenographer Grade I, Private Secretary (Non-Secretariat) and Senior Private Secretary on regular basis prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Private Secretary	75*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary (Non-Secretariat) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years of regular service in the grade after appointment thereto. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Administrative Head of the concerned Unit – Chairperson; 2. Accounts Head of the concerned Unit - Member; 3. Administrative Officer – III or Deputy Establishment Officer from one of the constituent units	Not applicable.

Note 2.- Eligible candidates are required to qualify stenography skill test in English of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in thirty-five minutes or in Hindi of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes on computer. Knowledge of word processing is compulsory while taking the stenography skill test. The candidates who qualify in the stenography skill test are required to appear for an objective test followed by personal interview for selection. The marks obtained in the objective test or interview will be taken into consideration among other parameters by the Selection Committee while recommending the names for empanelment. **Note 3.-** The *inter se* seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 4.-** Promotees shall undergo the required training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during probation. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	of the Department of Atomic Energy - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary (Non- Secretariat)	100*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Non - Selection.

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion through Seniority-cum-Fitness: Stenographer Grade I in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with three years of regular service in the grade after appointment thereto. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2**.- Promotees shall undergo the required training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during probation. **Note 3.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Administrative Head of the concerned Unit – Chairperson; 2. Accounts Head of the concerned Unit - Member; 3. Administrative Officer – III or Deputy Establishment Officer from one of the constituent units of the Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Stenographer Grade I	175*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	By promotion: (i) Eighty per cent. posts to be filled on departmental qualifying examination. (ii) Twenty per cent. posts to be filled on Seniority-cum-Fitness.

(11)	(12)	(13)
Promotion through departmental qualifying examination: Stenographer Grade D in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with six years of regular service in the grade after appointment thereto. Promotion through Seniority-cum-Fitness: Stenographer Grade D in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years of regular service in the grade after appointment thereto. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** The eligible candidates are required to appear for written examination for departmental qualifying examination quota. Those who qualify written examination are required to take stenography skill test in English of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in thirty-five minutes or in Hindi of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes on computer. **Note-3.-** For promotion under	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Director (Personnel and Administration) or Chief Administrative Officer of the concerned Unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned Unit - Member; 3. Administrative Officer – III or Deputy Establishment Officer from one of the constituent units of the Department of Atomic Energy - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director (Personnel and Administration) or Chief Administrative Officer of the concerned Unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned Unit - Member; 3. Administrative Officer – III or Deputy Establishment Officer from one of the constituent units of the Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

Seniority-cum-Fitness quota, eligible candidates are required to qualify stenography skill test of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in thirty-five minutes or in Hindi of one hundred words per minute of seven minutes duration to be transcribed in forty-five minutes on computer. **Note 4.-** Promotees shall undergo the required training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during probation. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. 19/9/2022-CCS/13180]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.26 21:33:05 +05'30'